

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2423
13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषय: असम में शीतागार सुविधाओं की स्थिति

2423 सुश्री सुष्मिता देव:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असम में सब्जी उत्पादक किसान शीतागार सुविधाओं की कमी और बिचौलियों पर निर्भरता के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं;

(ख) असम राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित शीतागार इकाइयों की संख्या, उनका स्थान और परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आलू, फूलगोभी, हरी मटर और टमाटर जैसी सब्जियों के खेत पर विक्रय मूल्य और शहरी बाजार मूल्यों के बीच भारी अंतर है; और

(घ) क्या सरकार ने किसानों को मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बचाने के लिए लघु शीतागार, प्रत्यक्ष खरीद या बाजार संपर्क सहित वैकल्पिक तंत्र लागू करने पर विचार किया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): असम की राज्य सरकार ने बताया है कि रबी के मौसम में, असम में सब्जियों का उत्पादन अक्सर बाज़ार की मांग से ज़्यादा हो जाता है, और किसानों को अक्सर अपनी फ़सल कटने के तुरंत बाद बेचनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें खेत पर ही कम दाम मिलते हैं। इसके विपरीत, गर्मियों के मौसम में, जब मांग स्थानीय उत्पादन से ज़्यादा हो जाती है, तो किसानों को आम तौर पर अपनी फ़सल के लिए अच्छे दाम मिलते हैं।

(ख): असम राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज की तारीख में असम में कुल 2.45 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 49 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): आलू, फूलगोभी, हरी मटर और टमाटर जैसी सब्जियों के खेत-स्तर के मूल्यों और खुदरा मूल्यों में अंतर परिवहन, भंडारण, रखरखाव लागत और आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों की भागीदारी जैसे कारकों के कारण हो सकता है। सरकार ने किसानों को मजबूरी में अपनी उपज बेचने से बचाने और शीघ्र नष्ट होने वाले बागवानी उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i) किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, भारत सरकार प्रधान मंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है। यह योजना कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए है, जो नाशवान प्रकृति के होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, अत्यधिक आवक के समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर से नीचे गिरने लगती हैं, तो मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन में होने वाले किसी भी नुकसान का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार है।

ii) सरकार ने वर्ष 2024-25 सत्र से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत मूल्य अंतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक पेश किया है, जिसके तहत बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के मूल्य अंतर का भुगतान सीधे नाशवान फसलों के किसानों को किया जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास फसल की वास्तविक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प है।

iii) इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 सत्र से, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक जोड़ा है, जिसके तहत किसानों के हित में प्रमुख फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन करने के लिए की जाएगी।

iv) इसके अतिरिक्त, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्रशीतित परिवहन, कोल्ड रूम (स्टेजिंग) और सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड रूम के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, बाजार संबंधों को बेहतर बनाना, फसलोपरान्त नुकसान को कम करना और किसानों को मजबूरी में फसल बेचने से बचाना है। यह योजना वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमियों पर आधारित है और इसमें सरकारी सहायता क्रेडिट लिंकड बैंक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है और यह सहायता राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

v) इसके अतिरिक्त, देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) शुरू किया है। एआईएफ के तहत 2.00 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले सावधि ऋण और शीत भंडारण सहित फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। अब तक एआईएफ योजना के तहत असम राज्य के लिए 33.46 करोड़ रुपये की लागत से 12 शीत भंडारण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अनुबंध-1

राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-1, दिनांक 13.03.2026 को "असम में शीत भंडारण सुविधाओं की स्थिति" के संबंध में उत्तरार्थ।

असम राज्य में आज की तारीख तक कोल्ड स्टोरेज का विवरण

क्र.सं.	नाम एवं स्थान	भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)
1	बस्का में मुशालपुर कोल्ड स्टोरेज	5000
2	ग्राम: दमका, पी.ओ. : सरभोग, बारपेटा में हिमालय कोल्ड स्टोरेज	10000
3	मेसर्स सोरभोग कोल्ड स्टोरेज, बारपेटा	2500
4	मेसर्स की डी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सिलचर	5000
5	माँ तारा कोल्ड स्टोरेज, सिलचर, कछार	5600
6	माँ तारा कोल्ड स्टोरेज, नाहटा बिल्डिंग, दीवान जी बाज़ार, सिलचर, कछार	5600
7	मेसर्स ललित कोल्ड स्टोरेज (प्रा) लिमिटेड, मेहरपुर, सिलचर -788015	5000
8	मेसर्स चिरांग लॉजिस्टिक्स कंपनी (प्रा) लिमिटेड, पी.ओ. : काजलगांव, चिरांग	7500
9	मेसर्स खारुपेटिया, दरांग	5000
10	मेसर्स चिलापाथर, धेमाजी	2000
11	मेसर्स कृष्णा कोल्ड स्टोरेज, गोलपारा	6165
12	मेसर्स नॉर्थ ईस्ट कोल्ड स्टोरेज, बापूजी नगर, बादलीमारी, गोलपारा	4420
13	मेसर्स बालाजी कोल्ड स्टोरेज, इकरनिगांव, डेरगांव, गोलाघाट	3600
14	मेसर्स डे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, हैलाकांडी	5000
15	मेसर्स डे कोल्ड स्टोरेज, यूनिट-II, सिलचर रोड, हैलाकांडी	5100
16	मेसर्स श्री निवास कोल्ड स्टोरेज, विलेज बुरागांव, काकी, होजई	9964
17	मेसर्स हनुमान स्पाइसेज एंड हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, जोरहाट	5000
18	मेसर्स सिंगिमारी, कामरूप	2000
19	मेसर्स छायागांव, कामरूप	5000
20	मेसर्स रिलाएबल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, चांगसारी, कामरूप, गुवाहाटी	5000
21	मेसर्स कामरूप कोल्ड स्टोरेज, कामरूप	12222
22	मेसर्स कामरूप ठंडा घर, गांव: सोरपारा, मौजा: चयनी ऑफ पलासबाड़ी, मिर्जा, कामरूप, गुवाहाटी	5000
23	मेसर्स कृष्णा कोल्ड स्टोरेज (मेसर्स जय कामाख्या एंड एसोसिएट्स की यूनिट), मौजा: सिलसिंदूरी घोषा, ओल्ड आईआईटी रोड, गांव: गौरीपुर, कामरूप, उत्तर गुवाहाटी	6500
24	मेसर्स शुभम हिमघर, गांव: पनेरी, पोस्ट ऑफिस: चायगांव, एसआईडीसी फूड पार्क, कामरूप	4150
25	मेसर्स श्री श्याम कोल्ड स्टोरेज, पलाशबाड़ी रोड, गांव: साओपारा, कामरूप	11800
26	मेसर्स ईडन कोल्ड स्टोरेज, खानापारा, कामरूप (एम), गुवाहाटी	2400
27	मेसर्स एन. ई. कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, लोखोरा, कामरूप (एम) गुवाहाटी	5000
28	मेसर्स होराइजन प्रोग्रेसिव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, पटगांव, अज़ारा, कामरूप (एम)	1500

29	मेसर्स कृष्णा एसोसिएट्स, छठा माइल, नरेंगी रोड, पजाबाडी, कामरूप (एम), गुवाहाटी	2520
30	मेसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, विलेज: मिर्जापुर, रामचरनी, अज़ारा, कामरूप (एम), गुवाहाटी	8141
31	मेसर्स करीमगंज (डे का कोल्ड स्टोरेज) करीमगंज में	2000
32	मेसर्स सुतारकंडी करीमगंज में	2000
33	मेसर्स बराक कोल्ड स्टोरेज, बदरपुरघाट, करीमगंज	5000
34	मेसर्स राहा नागांव में	2000
35	मेसर्स असम वैली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जोगीजन रोड, होजाई, नागांव	5400
36	मेसर्स राजश्री कोल्ड स्टोरेज, नागांव	4817
37	मेसर्स होजाई कोल्ड स्टोरेज नागांव में	5000
38	मेसर्स होजाई कोल्ड स्टोरेज नागांव में	5371
39	मेसर्स इंद्र प्रस्थाद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड तेजपुर, सोनितपुर में	4000
40	मेसर्स सोनिति प्रवा कोल्ड स्टोरेज बिहाली, सोनितपुर में	5300
41	मेसर्स गिंगिया कोल्ड स्टोरेज गिंगिया, सोनितपुर में	2500
42	मेसर्स महाबीर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-I, तिनसुकिया	7000
43	मेसर्स गीन फील्ड कोल्ड स्टोरेज, यूनिट-II पानीटोला, तिनसुकिया	5000
44	मेसर्स रिद्धि सिद्धि फ्रीजिंग एंड स्टोरेज, गांव: पटिया पाथर, तिनसुकिया	5000
45	मेसर्स पानीटोला, तिनसुकिया में जीन फील्ड कोल्ड स्टोरेज	5285
46	मेसर्स रिद्धि सिद्धि फ्रीजिंग एंड स्टोरेज एट विलेज। : पाटिया पाथर, तिनसुकिया	5200
47	मेसर्स राउटा कोल्ड स्टोरेज उदलगुरी	5000
48	मेसर्स एफ.एम. फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीबेस्ड इंडस्ट्रीज गोसाईसत्रा, गोलाघाट	5000
49	मेसर्स मिरीगांव कोल्ड स्टोरेज, नंबर 1 मिरीगांव, करुणाबार्ू देव. ब्लॉक, लखीमपुर	1000
	कुल	245555
